

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 2, 2012/चैत्र 13, 1934

No. 622]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 2, 2012/CHAITRA 13, 1934

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2012

का.आ. 709(अ).—केन्द्रीय सरकार, वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011 (2012 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 3 अप्रैल, 2012 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011 के सभी उपबंध [धारा 5 की उप-धारा (2) के सिवाय] प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. ए-11019/01/2012-स्था.]

प्रो. समीर के. ब्रह्मचारी, सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Scientific and Industrial Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2012

S.O. 709(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 (13 of 2012), the Central Government hereby appoints the 3rd day of April, 2012, as the date on which all the provisions [except sub-section (2) of Section 5] of the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 shall come into force.

[F. No. A-11019/01/2012-Estt.]

Prof. SAMIR K. BRAHMACHARI, Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1467/
No. 1467

नई दिल्ली, बुधवार, जून 26, 2013/आषाढ़ 5, 1935
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 26, 2013/ASHADHA 5, 1935

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2013

का.आ. 1850(अ).—केन्द्रीय सरकार, वैज्ञानिक और नवीकृत अनुसंधान अकादमी अधिनियम, 2011 (2012 का 13) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 जून, 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. 6/1/सीएसआईआर-एसीएसआईआर/2010-पीपीडी]

समीर के. ब्रह्मचारी, सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(Department of Scientific and Industrial Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2013

S.O. 1850(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Academy of Scientific and Innovative Research Act, 2011 (13 of 2012), the Central Government hereby appoints the 26th day of June, 2013 as the date on which the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said Act shall come into force.

[F. No. 6/1/CSIR-AcSIR/2010-PPD]

SAMIR K. BRAHMACHARI, Secy.